

दिनांक 19.01.2021 को जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत पेयजल हेतु गंगा जल उद्वह योजना, प्रथम चरण के कार्य के अधीन राजगीर, गया एवं बोधगया शहरों में जलापूर्ति कार्य की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थित पदाधिकारीगण :-

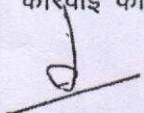
1. श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव, बिहार
2. श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार
3. श्री आनन्द किशोर, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार
4. श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार
5. जिला पदाधिकारी, नालन्दा/नवादा/गया

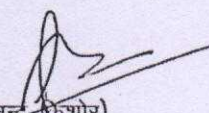
समीक्षा के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर विमर्श हुआ एवं उनपर नियमानुसार कार्रवाई करने पर सहमति बनी :-

1. गंगा जल उद्वह योजना प्रथम चरण के अधीन मोतनाजे (नवादा) स्थल एवं मानपुर अवगिल्ला अवस्थित WTP से क्रमशः राजगीर एवं गया, बोधगया शहरों के लिए जलापूर्ति हेतु पम्प हाउस (यांत्रिक, विद्युत, असैनिक एवं स्काडा कार्य सहित संपूर्ण कार्य) एवं Rising Main का कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा कराया जायेगा। घर-घर जलापूर्ति का कार्य राजगीर शहर में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा एवं गया, बोधगया शहर में नगर विकास एवं आवास विभाग, बुडको द्वारा कराया जायेगा। WTP से आगे जलापूर्ति से संबंधित जो भी कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा कराया जायेगा, वह निर्माण के बाद संबंधित विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा, परन्तु इसका संचालन एवं रख-रखाव गंगा जल उद्वह योजना, प्रथम चरण के कार्यान्वयन के लिए किये गये एकरारनामा के अधीन ही कराया जायेगा। संबंधित विभाग संचालन एवं रख-रखाव के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा संबंधित विभाग की सहमति के पश्चात् ही जल संसाधन विभाग द्वारा संचालन एवं रख-रखाव के कार्यों का भुगतान किया जायेगा।
2. जल संसाधन विभाग द्वारा राजगीर शहर एवं इसमें निर्माणाधीन संस्थानों के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार Master Underground Reservoir (MUGR) एवं Master Elevated Service Reservoir (MESR) के निर्माण के साथ-साथ WTP से Master Underground Reservoir (MUGR) एवं Master Elevated Service Reservoir (MESR) तक Rising Main का कार्य कराया जायेगा। राजगीर स्थित जिन संस्थानों में पूर्व से निर्मित सर्विस टैंक/रिजर्वायर निर्मित है उनको Master Underground Reservoir (MUGR) एवं Master Elevated Service Reservoir (MESR) से जोड़ने तथा अन्य निर्माणाधीन संस्थानों के कैम्पस के बाहर तक Master Underground Reservoir (MUGR) एवं Master Elevated Service Reservoir (MESR) से पाईप लाईन बिछाने का कार्य भी जल संसाधन विभाग द्वारा ही कराया जायेगा। उक्त सभी कार्य गंगा जल उद्वह योजना, प्रथम चरण के कार्यान्वयन के लिए किये गये एकरारनामा के अधीन कराया जायेगा ताकि कार्य स्थल पर उपलब्ध रिसोर्सेज का सर्वोत्तम उपयोग कर मूल योजना को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि यानि सितम्बर 2021 तक पूर्ण किया जा सके। इस कार्य के प्लानिंग में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा।
3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राजगीर में जलापूर्ति से संबंधित कराये जाने वाले कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन पूर्व से चालू एकरारनामा के अंतर्गत कराया जायेगा ताकि संवेदक के रिसोर्सेज का सर्वोत्तम उपयोग हो सके तथा कार्यावटन में लगने वाले समय की वचत हो सके।
4. जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बुडको, गंगा जल उद्वह योजना प्रथम चरण के कार्यान्वयन हेतु प्राधिकृत एजेंसी तथा जिला प्रशासन, गया के संयुक्त दल द्वारा गया एवं बोधगया शहरों में जलापूर्ति के संबंध में स्थल निरीक्षण कर पम्पिंग स्टेशन का लोकेशन, Rising Main का रेखांकन, सर्विस रिजर्वायर निर्माण हेतु लोकेशन एवं आवश्यक भूमि का निर्धारण कर अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में तकनीकी रूप से संभाव्य समाधान प्रस्ताव तैयार करेगी।

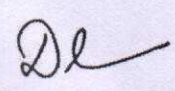
5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राजगीर शहर में जलापूर्ति हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण के कार्य से संबंधित प्रतिवेदन एवं नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा गया, बोधगया शहरों में जलापूर्ति हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण के कार्य से संबंधित प्रतिवेदन जल संसाधन विभाग को हस्तागत कराया जायेगा।
6. राजगीर शहर में जलापूर्ति हेतु उक्त वर्णित कार्य अवयवों के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि के निर्धारण एवं हस्तांतरण में जिला पदाधिकारी, नालंदा एवं नवादा तथा बोधगया एवं गया शहरों में जलापूर्ति हेतु उक्त वर्णित कार्य अवयवों के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि के निर्धारण एवं हस्तांतरण में जिला पदाधिकारी, गया द्वारा सहयोग किया जायेगा।
7. गया एवं बोधगया शहरों के लिए जलापूर्ति हेतु पम्पिंग स्टेशन (यांत्रिक, विद्युत, असेनिक एवं स्काडा कार्य सहित संपूर्ण कार्य), Rising Main का कार्य एवं बुडको/पी०एच०ई०डी० द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन Underground Reservoir (UGR) एवं Elevated Service Reservoir (ESR) तक पाईप जोड़ने का कार्य गंगा जल उद्वह योजना, प्रथम चरण के कार्यान्वयन के लिए किये गये एकरारनामा के अधीन कराया जायेगा ताकि संवेदक के रिसोर्सज का सर्वोत्तम उपयोग कर कार्य को निर्धारित अवधि यानि सितम्बर 2021 तक पूर्ण किया जा सके। इस कार्य के प्लानिंग में बुडको/पी०एच०ई०डी० द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा।
8. जल संसाधन विभाग द्वारा राजगीर में बनने वाले पम्प हाउस, Master Underground Reservoir (MUGR) एवं Master Elevated Service Reservoir (MESR) के निर्माण के लिए भू-अर्जन का प्रस्ताव तैयार कर अविलंब जिला पदाधिकारी, नालंदा को समर्पित किया जायेगा। इसी प्रकार गया एवं बोधगया में आवश्यकतानुसार सर्विस रिजर्वायर के निर्माण हेतु भू-अर्जन का प्रस्ताव तैयार कर जिला पदाधिकारी, गया को समर्पित किया जायेगा।

उपरोक्त बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर शीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।


(जितेन्द्र श्रीवास्तव)
सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार


(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार


(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार


(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव,
बिहार

ज्ञापांक : मो०-३-कार्य०-पी०-१०/२०२०-१२४

पटना, दिनांक : १००२०२०२१

प्रतिलिपि :

१. मुख्य सचिव महोदय के आप्त सचिव
२. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार
३. सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार
४. प्रबंध निदेशक, बुडको
५. जिला पदाधिकारी, नवादा/नालन्दा/गया
६. अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।
७. अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-१
८. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालन्दा, बिहारशरीफ/गया अपने स्तर से संबंधित पदाधिकारियों, संवेदक एवं पी०एम०सी० को कार्रवाई की प्रति देते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव

3